(e) if so, the details of the works so awarded;

(f) the reasons for not giving contracts on tenders; and

(g) the action taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI P. K. THUNGON): (a) and (b) DDA has reported that the following two complaints have been reported:—

(i) tenders of peripheral storm drain in Sector B-4 Narela opened on 29-1-94 were reported pooled (collusive bids) under threat from the bad elements.

(ii) tenders for the work of maintenance of Majnu Ka Tila Sub-Head : Removal of refuse and mulba opened on 16-7-94 were reported to have been grabbed by the other intending tenderer and put into the tender box.

(c) Tenders have been rejected in the case of (i) above and DDA is already seized with the complaint at (ii) above.

(d) to (g) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बड़े भवन निर्माताओं को भूमि का आवंटन

681. श्री आत मोहम्मद:
श्री ईश दत्त यादव :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बड़े भवन-निर्माताओं को भमि आवंटित की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्हें उक्त भूमि किन-किन दरों पर आवंटित की गई है ;

(ग) क्या इस बीच भूमि का लागत मूल्य भी वसूल किया गया है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उनमें से प्रत्येक भवन निर्माता से वसूल की जाने वाली बकाया धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि का निपटान) नियमावली, 1981 के अनुसार वाणिज्यिक भूखण्ड निजी भवन निर्माताओं की खुली नीलामी अथवा निविदाएं आमंत्रित कर आवंटित किया जा सकता है । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि पिछले तीन वर्षों (1991–92, 1992–93 तथा 1993–94) के दौरान 139 वाणिज्यिक भूखण्ड खुली नीलामी और निविदाएं आमंत्रित कर बेचे गए थे ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान नीलामी/निविदाओं के माध्यम से बेचे गए 139 वाणिज्यिक भू-खण्डों, आकार सहित भूखण्डों की संख्या, फर्शी क्षेत्र, सेन्टर और प्राप्त धनराशि आदि के ब्यौरे अनुपत्र में दिए गए हैं । (देखिये परिशिष्ट 171, अनुपत्र संख्या 17)

(ग) जी, हां ।

(घ) और (ङ) कोई बकाया धनराशि नहीं है ।

Distribution of funds under Nehru Roggar Yojana

682. SHRI RAMACHANDRAN PILLAI:

SHRI E. BALANANDAN:

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government used discriminatory standards in the distribution of funds under the Nehru Rozgar Yojana to States; and